

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 559/XXV-12/2015

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।


विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-18043/2015 श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 पर दिनांक 15.06.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि आवेदक के सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 23 मार्च, 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड से संबंधित कोई बिन्दु/सूचना परिलक्षित नहीं हुयी जिससे निर्वाचन विभाग द्वारा उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सानुरोध यह भी अवगत कराना है कि अपर सचिव (विभागीय अपीलीय अधिकारी) विदेश भ्रमण पर होने के कारण अपील की सुनवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की ओर से विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत है। कृपया तदनुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- /XXV-12/2015

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-18043/2015 श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 पर दिनांक 15.06.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में सुनवाई हेतु पत्रावली तैयार की गयी थी, किंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकी।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 23 मार्च, 2015 के माध्यम से उनके आवेदन पर दिनांक 21 फरवरी, 2015 के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कोई भी बिन्दु/अपेक्षित सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित परिलक्षित नहीं है।

3. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पू०संख्या- 558 / XXV-12/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 558 /XXV-12/2015

देहरादून : दिनांक 12 जून, 2015

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या **A(D)-18043/ 2015** के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-18043/2015 श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-18043/2015 पर दिनांक 15.06.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में सुनवाई हेतु पत्रावली तैयार की गयी थी, किंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकी।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 23 मार्च, 2015 के माध्यम से उनके आवेदन पर दिनांक 21 फरवरी, 2015 के क्रम में अवगत कराया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कोई भी बिन्दु/अपेक्षित सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित परिलक्षित नहीं है।

3. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ०संख्या- 558 / XXV-12/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तूदास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:
अपील अन्तर्गत धारा
अपीलकर्ता

A(D)-18043/2015

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून

बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

नोटिस

अपीलकर्ता श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 12.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 15.06.2015 (सोमवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.00 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है।

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 15.06.2015 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों।

लोक सूचना अधिकारी

- अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
- स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
- द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
- ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
- न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

विभागीय अपीलीय अधिकारी

- अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
- स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
- द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

ह0/-

(प्रभात डबराल)

प्र0 मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 24.06.2015

संख्या : 6129 / उ.सू.आ./अपील/2015-16/(PD)

प्रतिलिपि

1. श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)

सचिव

6(3)	FAO	...
...
...

B.P.L. पत्र

पंजी ०

दिनांक १/५/१५



स्वयं

मा० मुख्या सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग, इतराणा
देवराइन।

विषय :- लो० सू० प्र०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन अधिकारी कार्यालय, इतराणा
द्वारा सूचना क्रमांक पर मुसवाह करने एवं वि० प्र० प्र०/अप मुख्य सचिव निवर्तन
अधिकारी, इतराणा द्वारा अपील पर कोई कार्यवाही न करने विषयक।

कथन

अवगत करना है कि मेरे द्वारा दिनांक २५/३/१५ को १ (एक) बिन्दु पर सूचना उपलब्ध
कराफ्ताने हेतु लो० सू० प्र०/मुख्य सचिव कार्यालय, निवर्तन विभाग, इतराणा शासन
को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लो० सू० प्र०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन
अधिकारी, इतराणा देवराइन द्वारा दिनांक २६/३/१५-१२/४/१५ (१-५) दिनांक
२३/३/१५ के माध्यम से सूचना रूपी पत्र उपलब्ध कराया गया जो कि हस्तिया ब्रह्म
एवं प्राप्त था। लो० सू० प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र में मात्र इल्लेख किया गया
कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जन आकांक्षा विभाग के दिनांक २३/३/१५ के सन्देश में कोई
कार्यवाही परिलक्षित नहीं है। उक्त बिन्दु की अस्तित्वता के सम्बन्ध में मेरे द्वारा
विभागीय स्वीकृत अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक २०/३/१५ में स्पष्ट इल्लेख किया
गया।

उक्त अस्तित्वता केवलरे द्वारा ही जोरि करे के अर्थ में दिनांक ३०/३/१५ को
वि० प्र० प्र०/अप मुख्य निवर्तन अधिकारी सचिव कार्यालय, इतराणा को पत्र प्रेषित
किया गया लेकिन उक्त गृह अधिकार सचिव के अफार भी आज तक वि० प्र० प्र०
में न ही कोई लिपि निशानि की आ न ही उक्त अपील पर कोई कार्यवाही।
अतः कहा है कि अपील पर कार्यवाही करने का कष्ट न रहे।

संलग्नक -

- दिनांक २५/३/१५ को प्रेषित पत्र मध्य प्रकाशनी पत्र कीजिए साहेब।
- लो० सू० प्र० द्वारा उपलब्ध कराया गया सूचना दिनांक २३/३/१५ की जारी।
- वि० प्र० प्र० को प्रेषित पत्र दिनांक २०/३/१५ की जारी।

पुनः २ मन्त्री
स्वीण शमाजीनी
पुस्त्री योगेश शमा
जिले मीमापुशा - जन कंस मोत्या
जीवनार पोच - अम्बादी
विश्वनाथ, ३०५

अनुसूचित पत्र

डिप्लोमा

राज्य

दिनांक 21/2/15

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी / प्रमुख सचिव कार्यालय
निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय:- सूचना अधिनियम के तहत सूचना आरक्षण करने जाने विषय।

कृपया निम्न सूचनाओं को आरक्षण करने का कष्ट करें -

1 - जन आवासीय अनुभाग - 5, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पते पर पत्र सं. 19767/XXXV-5/2014 (1) दिनांक 21/2/15 के माध्यम से आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रेम्जीत राय (विधायक/लगा सचिव) जय पी. डी. से संस्थानों से दोहरा लाभ अर्जित कर लाना को लक्ष्य बना लिया जाने विषयक। विचार की गयी थी, उन्हें मामले में आपके लिए यकीनकारी कार्यवाही अनुपालन के तहत किये जायेंगे। यह भी कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतियाँ।

संदर्भ -

- उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 21/2/15 की जारी।
- विधायक पत्र दिनांक 15/2/15 की जारी प्रमुख सचिव से।
- डिप्लोमा का पत्र सं. 7315/100 की जारी।

प्रधान सचिव

श्रीमती अश्विनी
श्रीमती अश्विनी
जिला प्रशासक श्रीमती अश्विनी
जीवनदादा रोड - अम्बाड़ी
देहरादून, उत्तराखण्ड

भारतीय डाक
Incl. Post
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
New Delhi
Registered Office: 11, Connaught Place, New Delhi-110028
From: MANISHA SHARMA, VERAS LAGUN
#11768785
-110028, 28/02/2015, 11:37
Track on www.indiatrackpost.com

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकाँक्षा अनुभाग-5
क0संख्या: JA/19767 /xxxv-5/2014 (1)
देहरादून: दिनांक 23-12- 2014

प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग
सचिव, उच्च शिक्षा/गोपन विभाग
सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया सभा सचिव/विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ० जीतराम को जनता की कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा दो-दो संस्थानों से लिये गये लाखों रुपये की वसूली करने विषयक श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 15.12.2014, जो मा० मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक यथोपरि।

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

क0संख्या: JA/ /xxxv-5/2014 ()तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

- परिवार के मुखिया का नाम
- पिता/पति का नाम
- जाति - सामान्य / अनुजाति / अनुसूचित / अन्य पिछड़ा वर्ग
- शैक्षिक योग्यता
- ग्राम/चौहल्ला/मकान नं०/मार्ग
- ग्राम पंचायत का नाम
- विकास खण्ड का नाम
- जनपद
- परिवार का बी.पी.एल. आईडी नं०



फोटो विकल्पिक
 प्रमाणित किया जा सकता है

10. परिवार का मुखिया का पता

--	--

नोट:- कार्ड धारक द्वारा अपना फोटो प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाणित किया जा सकेगा।

11. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	पिता/पति का नाम	आय	विवरण
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12. परिचय-पत्र जारी करने की तिथि

13. नवीनीकरण का विवरण

क्र. सं.	तिथि	वैधता	नवीनीकरण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर/नाम/पद/मुख्य अधिकारी
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ग्राम पंचायत
 विकास अधिकारी

मुख्य अधिकारी

21/10/14

खण्ड विकास अधिकारी

5/12/14

विहारा 5/12

निर्देश

1. यह कार्ड बी०पी०एल० सूची में नाम होने का प्रमाण पत्र है। धारक इससे स्वयं किसी योजना का हकदार नहीं बनेगा।
2. किसी योजना में चयन का आधार विभागीय मानक व नियम होंगे।
3. यह कार्ड परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए मान्य नहीं। दुरुपयोग की स्थिति में निरस्त कर दिया जायेगा।

गांव-गांव में सहे विकास की धारा
समग्र विकास का सफल हमारा।

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड

बी०पी०एल० सर्वेक्षण 2002

क्रमांक 333/63

अहस्तान्तरणीय परिचय पत्र

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन
करने वाले परिवार हेतु



उत्तराखण्ड सरकार

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड

समग्र ग्रामीण विकास द्वारा स्वात्मन की ओर

5 V-1 21/3

वि. ए. ए. 12/20/02 जी. वी.
5 V-1 21/3

कार्यालय : मुख्य नि
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय

अधिकारी, उत्तराखण्ड
देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 263 /XXV-12 /2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री प्रवीण शर्मा जीन्नी,
पुत्र श्री योगेश शर्मा,
जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीतनगढ़, पो० अम्बाड़ी,
विकासनगर, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या-01 में चाही गयी सूचना में आपको आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 19767 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के साथ आपके शिकायती पत्र को भेजा गया था किन्तु निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा इस शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं है जिस कारण आपके शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपके द्वारा चाही गयी सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

दिनांक 30/2/15

सूचना में

विभागीय अधीनस्थ अधिकारी / अथवा मुख्य निवर्तन अधिकारी
सन्धिखर्क तालुका, अन्तराखण्ड, जे. एन.

विषय :- लो. प्र. अथवा अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन अधिकारी, अन्तराखण्ड उप
अधीनस्थ आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक ।

विवरण

अज्ञात कराना है कि मेरे अथवा दिनांक 21/2/15 को। (सक) बि.उ. पर सूचना
उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र लो. प्र. अथवा अनु. प्र. अथवा सन्धिखर्क तालुका, निवर्तन विभाग,
अन्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लो. प्र. अथवा अनु. प्र. अथवा अधिकारी,
मुख्य निवर्तन अधिकारी, अन्तराखण्ड उप पत्रांक सं. 263/XXIV-1/2008(P-4) दिनांक
23/2/15 के माध्यम से सूचना रूपी पत्र उपलब्ध कराया गया, जो कि स्थिति अनुसार एवं
आधिकारिक है।

इस बिन्दु में मेरे अथवा मुख्य अधिकारी कार्यालय के जन आकांक्षित। दिनांक - 5 दिनांक
23/2/15, जिसमें सन्धिखर्क तालुका/विशेष प्र. जीतराम अथवा के-दा संस्थानों से लिए जा
वेतन शर्तों के संबंधी कार्यालयी निवर्तन विभाग से की जानी अपेक्षित थी लेकिन
लो. प्र. अथवा अधिकारी अथवा मात्र यह अज्ञात बताया कि "श्रीकांता पत्र पर कोई कार्यवाही
नहीं की गई है तथा अज्ञात कोई कार्यवाही नहीं की गयी", बस दुर्भाग्यपूर्ण है।
वस्तुस्थिति यह है कि अथवा मुख्य अधिकारी कार्यालय के पत्रों पर 3-3 माह में भी
कार्यवाही नहीं हो रही है जो आज व्यक्ति के अज्ञेय पत्र प्राप्तियों पर विभाग
का कार्यवाही करा होगा प्रतिभा है।

लो. प्र. अथवा अधिकारी अथवा मात्र उल्लेख किया गया जसकि कोई सूचना उपलब्ध
नहीं करायी गयी। इसी की नाते यह है कि मुख्य अधिकारी के पत्र को बिना कार्यालयी
से जान के लिए भेजा गया तथा बिना अधिकारी ने अज्ञेय पत्र का निष्पत्ती ली, जो
अथवा भी अज्ञेय नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि अथवा अधिकारी पत्र अथवा विभाग
में रक्त किया गया है।
आ. अ. अ. है कि अथवा पत्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न -
दिनांक 21/2/15 को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि
श्रीकांता पत्र सन्धि

सन्धिखर्क तालुका
पंजी
जिला अधिकारी
जन संघ

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:
अपील अन्तर्गत धारा
अपीलकर्ता

A(D)-18043/2015

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून

बनाम

- प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

नोटिस

अपीलकर्ता श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 12.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 15.06.2015 (सोमवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.00 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है।

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डाँक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 15.06.2015 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों।

लोक सूचना अधिकारी

- अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
- स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
- द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
- ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
- न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

विभागीय अपीलीय अधिकारी

- अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,
- ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
- स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
- द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

ह0/-

(प्रभात डबराल)

प्र0 मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 04.06.2015

संख्या : 6129/उ.सू.आ./अपील/2015-16/(PD)

प्रतिलिपि

1. श्री प्रवीण शर्मा पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़ पोस्ट अम्बाड़ी विकास नगर जिला देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

04.06.15

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)

सचिव

6(3)	FAC	100
PZO	LD	500
	P.S.	250

11/5
B.P.L. पाठ

पंजी 0

दिनांक 9/5/11



सूचना

मा० मुख्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग, इन्टरनेट
देहरादून।

विषय :- लो० सू० प्र०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन अधिकारी कर्मालय, इन्टरनेट
हाप सूचना के नाम पर गुमराह करने एवं वि० अ० अ०/अप० मुख्य सचिव निवर्तन
अधिकारी, इन्टरनेट हाप अपील पर कोई कार्यवाही न करने विषयक।

कक्ष

अवगत करना है कि मेरे हाप दिनांक 2/3/11 को। (सू०) विन्डु पर सूचना उपलब्ध
कराफ्ताने हेतु पत्र लो० सू० प्र०/अनुभाग सचिव कर्मालय, विन्डु विभाग, इन्टरनेट रासन
को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लो० सू० प्र०/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवर्तन
अधिकारी, इन्टरनेट देहरादून हाप दिनांक 26/3/11-12/2008 (P-4) दिनांक
23/3/11 के माध्यम से सूचना सूची पर इदल्लुथ करवा गया जो कि हर्तिका ब्रह्म
एवं प्राप्त था। लो० सू० प्र० हाप उपलब्ध कराफे जाने पर मे पात्र इल्लेख किया गया
कि मुख्यमंत्री कर्मालय के जन आकांक्षा विभाग के पत्र दिनांक 23/3/11 के लक्ष्य में कोई
कार्यवाही पोएकिते नही है। उम्ह विन्डु की असतुष्टता के लक्ष्य में मेरे हाप
विभागीय अपील अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 30/3/11 में स्पष्ट इल्लेख किया
गया।

उम्ह असतुष्टता केवलरे इमीत योजिते करने के इच्छे था ये दिनांक 30/3/11
वि० अ० अ०/अप० मुख्य निवर्तन अधिकारी सचिव कर्मालय, इन्टरनेट को पत्र प्रेषित
किया गया लेकिन उम्ह पाठ से अधिक समय बीतने के उपरान्त भी आज तक कि
ने न ही कोई लिपि निश्चयिती की आ न ही उम्ह अपील पर कोई कार्य
प्रतः अम्ह है कि अपील पर कार्यवाही करने का कक्ष करे।

संलग्नक

- दिनांक 2/3/11 को प्रेषित पत्र मप प्रिकापरी पत्र की जति खतिरे।
- लो० सू० प्र० हाप उपलब्ध करवाया गया सूचना दिनांक 23/3/11 की जति।
- वि० अ० अ० को प्रेषित पत्र दिनांक 30/3/11 की जति।

प्रवीण शर्मा
मुख्य सचिव
जिला मीमांसा - जन
जीवनदा पोठ - अम
विश्वनाथ, के० ३

अनुसूची 40

BPL पाठ

राजीव

दिनांक 21/2/15

सेवा में,
लोक हितवा अधिगरी / प्रमुख सचिव कागलिन
निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय:- हस्ताक्षर अधिनियम के तहत हस्ताक्षर अंकित करने वाले विभाग

कृपया निम्न हस्ताक्षर अंकित करने का कष्ट करें।

1- जन आकांक्षा अनुसूची - 5, मुख्यमंत्री कागलिन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 19767/XXXXV-5/2014 (1) दिनांक 21/2/15 के माध्यम से आपको पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रेषित एन (विधायक/लगा सचिव) द्वारा की गई है। संस्थानों से वास्तविक खर्च का तालिका को लंबे समय से लगाए जाने विषय। विभाग की ओर से, यह मामले में आपके लिए इस की गंभीरता को अनुसूची के हस्ताक्षर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां।

संदर्भ -

- उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 21/2/15 की ओर,
- विधायक पत्र दिनांक 15/2/15 की ओर प्रमुख सचिव से।
- BPL कागलिन का लेटर 7315/15 की ओर

प्रमुख सचिव

श्री राजेश जीनी
प्रमुख सचिव
जिला प्रशासन प्रभारी जन संपर्क मोर्चा
जीवनदा मोर्चा - अम्बाडी
देहरादून

भारतीय डाक

 Registered Post
 Registered No. 100-0001/00
 Registered Principal Secretary
 Dehra Dun, U.P., PIN-248001
 From: MANISH CHAKRA, VIKAS 14314
 4/1/2015
 -15/02/15, 20/02/2015, 11:37
 Track on www.indiapost.gov.in

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5
क0संख्या: JA/19767 /xxxv-5/2014 (1)
देहरादून: दिनांक 23-12- 2014

प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग
सचिव, उच्च शिक्षा/गोपन विभाग
सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया सभा सचिव/विधायक एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 जीतराम को जनता की कमाई लूटने के मामले में बर्खास्त करने एवं इनके द्वारा दो-दो संस्थानों से लिये गये लाखों रुपये की वसूली करने विषयक श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 15.12.2014, जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक यथोपरि।

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

क0संख्या: JA/ /xxxv-5/2014 ()तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास- अस्पताल रोड़, विकासनगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जगत सिंह रौतेला)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

1. परिवार के मुखिया का नाम श्री. राजेश कुमार
2. पिता/पति का नाम श्री. राजेश कुमार
3. पारितोषिक / लाभ / अनुभूति / अवकाश / अन्य पिछड़ा वर्ग श्री. राजेश कुमार
4. शैक्षिक योग्यता इंटर
5. ग्राम/बोडला/मकान नं०/मार्ग 5
6. ग्राम प्रचायत का नाम श्री. राजेश कुमार
7. विकास खण्ड का नाम विशालपुरा
8. जनपद देवरगढ़
9. परिवार का बी.पी.एल. आई.डी. सं० 7315/11



फोटो (विकल्पिक)
 (Handwritten signature/initials over the photo)

10. परिवार का मुखिया का नमूना दस्तावेज/संलग्न



नोट:- कार्ड सारक द्वारा अपना फोटो प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाणित किया जा सकता है।

11. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	पिता/पति का नाम	वयस	लिंग
1	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	45	पुरुष
2	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	60	महिला
3	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	49	पुरुष
4	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	48	पुरुष
5	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	6	पुरुष
6	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	4	पुरुष
7	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	32	पुरुष
8	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	28	पुरुष
9	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	25	पुरुष
10	श्री. राजेश कुमार	श्री. राजेश कुमार	25	पुरुष

12. परिचय-पत्र जारी करने की तिथि वैधता

13. नवीनीकरण का विवरण

क्र. सं.	तिथि	वैधता	नवीनीकरण करने वाले अधिकारी के दस्तावेज/पत्र प्रमाण/पुस्तक संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ग्राम प्रचायत श्री. राजेश कुमार विकास खण्ड विशालपुरा जनपद देवरगढ़ अधिकारी

21/10/14

खण्ड विकास अधिकारी

5/11/2014

विशालपुरा

5/11/2014

निर्देश

1. यह केवल बी०पी०एल० श्रेणी में सामिल होने का प्रमाण पत्र है। धारक इससे स्वयं किसी योजना का हकदार नहीं बनेगा।
2. किसी योजना में चयन का आधार विभागीय मानक व नियम होंगे।
3. यह कार्ड परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए मान्य नहीं। दुरुपयोग की स्थिति में निरस्त कर दिया जायेगा।

गांव-गांव में बड़े विकास की धारा।
समग्र विकास का सकल्प हमारा।

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड

बी०पी०एल० सर्वेक्षण 2002

क्रमांक 333/61

अहस्तान्तरणीय परिचय-पत्र

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन
करने वाले परिवार हेतु



उत्तराखण्ड सरकार

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड

समग्र ग्रामीण विकास द्वारा स्वात्मन की ओर

5 V-1213

विद्युत 12/12/02
5 V-1213

कार्यालय : मुख्य नि
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय

अधिकारी, उत्तराखण्ड
देहरादून - 248001

फोन नं० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स नं० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 263 /XXV-12 /2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2015

सेवा में,

श्री प्रवीण शर्मा जीन्नी,
पुत्र श्री योगेश शर्मा,
जिला मीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा,
जीतनगढ़, पो० अम्बाड़ी,
विकासनगर, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या-01 में चाही गयी सूचना में आपको आपको अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 19767 दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के साथ आपके शिकायती पत्र को भेजा गया था किन्तु निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा इस शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं है जिस कारण आपके शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपके द्वारा चाही गयी सूचना शून्य है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय


(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

दिनांक 30/2/15

सेवा में

विभागीय अपीलार्थ अधिकारी / अपा मुख्य निवचन अधिकारी
राजिबे लाल पारित, इतराणा, 30/2

विषय:- लोक सू अण/अनुभाग अधिकारी, मुख्य निवचन अधिकारी, इतराणा अप
अर्थात् खे आणक सूचना उपलब्ध कराणे जाने विषयक ।

संदर्भ

अवगत कराना है कि मेरे अप दिनांक 21/2/15 को । (सक) बिडु म सूचना
उपलब्ध कराणे जाने हेतु पत्र लोक सू अण/अनुभाग राजिबे लाल पारित, निवचन विभाग,
इतराणा शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में लोक सू अण/अनुभाग अधिकारी,
मुख्य निवचन अधिकारी, इतराणा उप पत्रांक सं 263/XXIV-12/2008(P-4) दिनांक
23/2/15 के माध्यम से सूचना रूपा पत्र उपलब्ध कराया गया, जो की स्थिति अनुसार खे
आणक है ।

इस बिन्दु में मेरे अप मुख्यमंत्री कार्यालय के जन आकक्षा विभाग -5 दिनांक
22/2/15, जिसमें सभा सचिव/विभाग प्रो जीतराम खे के दो संस्थानों से लिए जा
बेतन शर्कडे सचिवी कार्यालयी निवचन विभाग से की जानी अपेक्षित थी लेकिन
लोक सूचना अधिकारी अप मात्र यह संतोष कला कि "शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही
नालायक नहीं है तथा इसके कोई कार्यवाही नहीं की गयी", बस दुर्भाग्यपूर्ण है ।

वस्तुस्थिति यह है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्रों पर 3-3 माह में भी
कार्यवाही नहीं हो रही है तो आज व्यक्ति के प्रत्येक पत्र प्राप्तियों पर विभाग
का कार्यवाही कहा होगा पारित करे है ।

लोक सूचना अधिकारी अप मात्र उल्लेख किया गया जबकि कोई सूचना उपलब्ध
नहीं करायी गयी । हेतु की बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र को बिना अधिकारी
से जांच के सिरे भेजा गया तथा बिना अधिकारी ने इस पर क्या रिपोर्ट लिखी,
इस भी उल्लेख नहीं है, जिससे स्तब्ध होता है कि प्रशासकीय पत्र अप प्रिंटिंग
में एक दिनांक है ।

आशा है कि शीघ्र ही कार्यवाही करने का कष्ट करें,

संलग्न -
दिनांक 21/2/15 को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि
शिकायती पत्र सचिव

अपील
प्रीती राजा शीनी
इस को प्रेषित किया
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय - जनसंपन्न गोवा